

## संविदा कर्मी: आधी रोटी-आधा पेट की मजबूरी से मुक्ति

आलेख - अजय बोकिल

मुख्यमंत्री कमलनाथ के सकारात्मक फैसले के बाद मप्र के 72 हजार संविदा कर्मचारियों की अनिश्चित जिंदगी में आशा और स्थिरता की नई रोशनी आई है। कमलनाथ सरकार ने तय किया है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत इन सभी संविदा कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। जिन संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, उन्हें वापस नौकरी दी जाएगी। साथ ही विभाग में जो खाली पद हैं, उनमें संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। राज्य में कार्यरत संविदा कर्मी लंबे समय से नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन व सुविधाओं की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार के निर्णय के बाद 'आधी रोटी, आधा पेट' आंदोलन कर रहे उन कर्मचारियों को भी भर पेट रोटी मिल सकेगी, जिन्होंने अपना भला होने की आस लगभग छोड़ दी थी।

मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में नियमित कर्मचारियों की भर्ती न होने के कारण विभिन्न पदों पर संविदा कर्मचारियों की तैनाती का फैसला पिछली सरकारों ने लिया था। ये कर्मचारी काम तो नियमित कर्मचारियों की तरह ही करते रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें मामूली वेतन मिलता था। साथ ही वे अन्य नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं और भत्तों से भी वंचित थे। कुल मिलाकर वे सरकारी कर्मचारी तो थे, लेकिन अधूरे मन से। इसी कारण संविदा कर्मचारियों के मन में हमेशा कभी भी नौकरी जाने की आशंका में रहती थी। राज्य में सभी विभागों को मिलाकर संविदाकर्मियों की संख्या करीब 72 हजार बताई जाती है, जो प्रदेश के कुल साढ़े 4 लाख शासकीय कर्मचारियों का लगभग पांचवां हिस्सा हैं। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सचिव, संविदा कर्मी आदि शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में संविदा कर्मियों की भर्तियां अलग-अलग समय पर अलग-अलग विभागों में होती रही हैं। लेकिन उनके नियमितीकरण अथवा उन्हें ज्यादा सुविधाएं देने के मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया था। पिछली सरकार में भी संविदाकर्मियों के संगठन और सरकार के बीच कई बार वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। संदेश यह गया कि सरकार में संविदा कर्मियों को नियमित करने की इच्छा शक्ति की कमी है। मप्र में सत्ता परिवर्तन के बाद यह मुद्दा फिर उठा और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया। सरकार ने तीन मंत्रियों की सब कमेटी बनाई, जिसने संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समान कई सुविधाएं देने की बात से सहमति जताई। इस कमेटी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, डॉ. प्रभुराम चौधरी और तरुण भनोत शामिल थे।

हाल में संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के साथ मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संविदाकर्मियों के हित में कई फैसले लिए। महासंघ की मांग थी कि सरकार सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करे। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों को नियमित पद का 90 फीसदी वेतन दिया जाए। महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर्स को रक्षाबंधन के पहले 90 प्रतिशत वेतनमान दिया जाए।

इस बैठक में इस बात का फैसला भी हुआ कि यदि कोई प्रोजेक्ट बंद होगा, तो उसके संविदा कर्मचारियों को नए प्रोजेक्ट में काम दिया जाएगा। संविदा कर्मचारी की गड़बड़ी या लापरवाही सामने आने पर नियमित कर्मचारी की तरह जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संविदा कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव की जरूरत होगी तो कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा।

इनके अलावा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को वित्तीय राहत देने की मंशा भी जताई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भरोसा दिलाया कि संविदा कर्मियों को नियमित करने के बाद उन्हें पांच साल का बांड दिया जाएगा, जिसे वे बाद में नगद में बदल सकते हैं। साथ ही संविदाकर्मियों को वर्तमान में दी जाने वाली व्यवस्थाएं जारी रहेंगी।

दरअसल संविदा कर्मियों की समस्या अन्य विभागों में भी है। मप्र बिजली बोर्ड में भी बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों के भरोसे ही काम चल रहा है। इसका मुख्य कारण किन्हीं कारणों से नियमित पदों पर समय रहते भर्ती न होना तथा नियमित कर्मचारियों का रिटायर होते जाना है। बिजली बोर्ड के संविदा कर्मियों की नियमिती की मांग पर मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनसे दो टूक सवाल किया था कि इस बात की क्या गारंटी है कि नियमित होने पर प्रदेश में बिजली सप्लाई की व्यवस्था सुधर जाएगी। साथ में उन्होंने यह संकेत दिया कि वे संविदा कर्मियों की वाजिब मांगों को लेकर संवेदनशील हैं और उन्हें पूरा भी किया जाएगा। सरकार चाहती है कि आम जनता को कोई परेशानी न हो।

मध्यप्रदेश के हजारों संविदा कर्मियों के लिए राहत की बात यह है कि पहली बार राज्य सरकार ने उनकी बातों और मांगों पर गंभीरता से विचार किया तथा उनकी दिक्कतों को समझा है। बेशक सरकार की अपनी सीमाएं और आर्थिक मर्यादाएं भी हैं। इसके बावजूद अगर संविदा कर्मियों की प्रमुख मांगों को पूरा करने का ठोस आश्वासन अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया है तो उस भर यकीन किया जाना चाहिए। वैसे भी कमलनाथ कहने से ज्यादा करने से यकीन रखते हैं।

वैसे राज्य सरकार को बढ़ती आबादी और उसके अनुपात में राज्य में घटती कर्मचारियों की संख्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकारी मशीनरी को कार्यक्षम बनाने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त मैन पावर तो चाहिए ही। संविदा कर्मों यह काम बरसों से पूरी

मेहनत से कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी जाने का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। इस हिसाब से देखा जाए तो संविदा कर्मों दूसरों की तुलना में बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। उनकी कार्यनिष्ठा और अनुभव को देखते हुए सरकार को उनके कल्याण के बारे में सहानुभूतिपूर्वक सोचना चाहिए। निश्चित ही कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 9 माह में संविदा कर्मियों को बड़ी राहत देकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसका लाभ संविदा कर्मियों के साथ साथ सरकार को भी होगा।

दरअसल संविदा कर्मियों की मांगे रही हैं, वो पूरी तरह वाजिब हैं। क्योंकि उनसे काम तो पूरा लिया जाता है, लेकिन दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें न तो पेंशन मिलती है और न ही उनका किसी तरह का कोई बीमा होता है। व्यावहारिक काम का अनुभव होने के बाद भी उन्हें किसी सरकारी विभाग में कोई प्राथमिकता नहीं मिलती। सरकारी खाली पदों पर भी सीधी भर्ती कर ली जाती है और संविदाकर्मों वहीं के वहीं रह जाते हैं। वे अनुकंपा नियुक्ति के भी हकदार नहीं हैं। बेशक एक पूर्ण सरकारी कर्मचारी का दर्जा अभी उन्हें देने में कठिनाई है, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किसी भी संविदाकर्मों को नौकरी से न निकालना तथा निकाले गए संविदाकर्मियों को वापस नौकरी पर लेना इतना बड़ा फैसला है, जिससे हजारों संविदाकर्मियों के घरों में चूल्हा जलते रहने की गारंटी हो गई है।

देश की डगमगाती आर्थिकी में ऐसी कोई भी पहल संविदा कर्मियों को आश्वस्त और अपने निर्बाध कर्तव्य निर्वहन में सहायक बनेगी, यह तय है। अंततः इसका लाभ शासकीय योजनाओं के जनता तक सही ढंग से पहुंचने के रूप में होगा, ऐसा मानने में कुछ गैर नहीं है। इससे संविदा कर्मियों में प्रचलित उस जुमले पर भी विराम लगेगा, जिसमें माना जाता था कि 'संविदा-कभी भी जुदा। [प्रस्तुति\(मनुज फीचर सर्विस :](#)

नोट: विचार लेखक के अपने हैं, इन विचारों की जिम्मेदारी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय नहीं लेता।

उक्त आलेख माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई मनुज फीचर सर्विस के अंतर्गत निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है। कृपया आलेख के अंत में मनुज फीचर सर्विस प्रकाशित करने का अनुरोध है।